न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 396/2017 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

1– नारायण पिता जीतमल जाट उम्र वयस्क, नि0 निम्बाहेड़ा जाटान, तह. करेडा जिला भीलवाडा।
2– जीवराज पिता जीतमल जाट उम्र वयस्क, नि0 निम्बाहेड़ा जाटान, तह. करेडा जिला भीलवाडा।
3– मुकेश पिता जीतमल जाट उम्र वयस्क, नि0 निम्बाहेड़ा जाटान, तह. करेडा जिला भीलवाडा।

––वादीगण

बनाम

1– शंकरलाल मुतबन्ना छगनलाल उम्र वयस्क, नि0 निम्बाहेड़ा जाटान, तह. करेडा जिला भीलवाडा के फौत होने से
1/1– सोहनी पत्नी शंकरलाल जाट उम्र वयस्क, नि0 निम्बाहेड़ा जाटान, तह. करेडा
2– राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा
3– राजस्थान राज्य जरिए उप पंजीयक करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

–––

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा – 88, 89 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत् विभाजन आराजियात

उपस्थित:–
01 श्री अम्बालाल जाट — अधिवक्ता वादीगण
02 एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक 14.05.2022

वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 – राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज ग्राम निम्बाहेड़ा जाटान पटवार हलका निम्बाहेड़ा जाटान के आराजी नंबर 2679 रकबा 11.03 बीघा में से 10 बीघा भूमि जरिये इकरार पत्र वादीगणों द्वारा बिल एवज 7,50,000/– रू0 अक्षरे सात लाख पचास हजार रूपये रोकड़ी देकर कय की तथा कय दिनांक 24.04.2015 से उक्त कयशुदा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है । प्रतिवादी की नियत में फितुर आने से प्रतिवादी रजिस्ट्री नहीं करवाकर आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। प्रतिवादी को कई मर्तबा रजिस्ट्री कराने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी [illegible] नहीं होने से वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित करने की इच्छा की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:40:18 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तामील हेतु जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता यतीन्द्र चौधरी उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु नियत दिनांक 11.02.2020 को अधिवक्ता प्रतिवादी को रूक–रूक कर तीन मर्तबा आवाज लगाई उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। दौराने विचरण वाद दिनांक 14.03.2022 को सोहनी पत्नी शंकरलाल जाट ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसके पति शंकरलाल (प्रतिवादी संख्या 01) की मृत्यु हो

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा